Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

34-2026/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 2, 2026 (PHALGUNA 11, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 2nd March, 2026

No. 3-HLA of 2026/5/4137.— The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents (Amendment) Bill, 2026 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 3- HLA of 2026

A

BILL

further to amend the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2025.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of section 2 of Haryana Act 10 of 2025.

2. In section 2 of the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2025 (hereinafter called the principal Act),-

(i) for clauses (g) and (h), the following clauses shall be substituted, namely:-

‘(g) “document” means educational certificate, certificate for English language test for study, travel paper, visa, ticket or passport in physical or electronic form including digital record that may be used or intended to be used as evidence in support of qualification for the purpose of tourism or emigration under this Act;

(h) “emigrant” means a citizen of India who intends to emigrate or emigrates or has emigrated outside India for any purposes such as study, tourism etc. excluding emigration for employment abroad governed under the Emigration Act, 1983 (Central Act 31 of 1983);’;

(ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(o) “travel agent” means any firm or company or unit or a person doing the profession which involves arranging, managing or conducting affairs relating to tourists or travelers visiting within the country or sending persons abroad or which arise out of the affairs of persons sent to a foreign country except for carrying out the business of recruitment being governed under the Emigration Act, 1983 (Central Act 31 of 1983) and shall include all or any of the following, namely:-

(a) processing of applications for or relating to grant of passport or visa except recruitment or emigration for employment abroad as governed under the Emigration Act, 1983 (Central Act 31 of 1983); or

(b) acting as an agent for a company, firm or such type of bodies or entities for-

(i) selling air travel tickets; and

(ii) providing means of transportation for travel within the country or to a foreign country by land or sea; or

(c) providing consultancy visa service or guidance to the person intending to go abroad for the following purposes except employment abroad-

(i) acquiring education;

(ii) undertaking a pleasure trip as a tourist or traveler;

(iii) getting medical treatment;

(iv) arranging cultural entertainment or musical shows;

(v) spreading or preaching religion; or

(vi) participating in sports tournaments or events; or

(d) giving an advertisement or publicity, which relates directly or indirectly to any field of travel to a foreign country, by means of publication, transmission, communication or internet except relating to employment abroad,; or

(e) holding of seminars or delivering of lectures to promote emigration or rendering assistance for such purposes other than employment abroad; or

(f) arranging matrimonial alliance and adoption for the purpose of emigration other than emigration for employment abroad; or

(g) arranging travel of any person within the country or from India to abroad for purposes mentioned hereinbefore other than employment abroad; or

(h) acting as freelancing type tout for any of the purposes mentioned in clauses (a) to (g).’.

Amendment of section 7 of Haryana Act 10 of 2025.

3. In section 7 of the principal Act,-

(i) in clause (g), for the sign “:” existing at the end, the sign and word “; or”shall be substituted; and

(ii) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

“(h) violated any provision of this Act:”.

Insertion of section 23 in Haryana Act 10 of 2025.

4. After section 22 of the principal Act, the following section shall be added, namely:-

“23. Act not in derogation of any other law.- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of provisions of any other Central Act for the time being in force except specifically provided under this Act and in case of any inconsistency in provisions other than specifically provided under this Act, the provisions of Central Act shall have overriding effect to the extent of inconsistency.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Govt. of India, Ministry of External Affairs has intimated that the provisions of the recently introduced 'Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2025' which aims to regulate travel agents operating within the State and there are certain provisions in this statute which appears to be inconsistent with the Emigration Act, 1983 which governs the emigration of Indian Citizens for employment abroad. There are certain provisions particularly those relating to the scope of operation for travel agents which overlap with the provisions of Emigration Act, 1983. Certain provisions of the statute could potentially be exploited by Travel Agents to bye-pass the provisions of the Emigration Act, 1983 including mandatory registration with the Protector General of Emigrants (P.G.E.). To avoid violation of the provisions of the Emigration Act, 1983 and to curb the growing instances of illegal recruitment activities of Indian citizens abroad by unscrupulous agents, it has been proposed that the Government of India and the State Government should work in harmony to provide robust framework to ensure safe and legal migration.

A legislation i.e. the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents (Amendment) Bill, 2026 is required to amend the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2025 to remove inconsistencies and harmonize the provisions of the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Act, 2025 and Emigration Act, 1983 to strengthen the regulatory framework governing the recruiting agents.

Hence, this Bill.

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 2nd March, 2026.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2026 का विधेयक संख्या–3 एच. एल. ए.

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2025 के हरियाणा अधिनियम 10 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, –

(i) खण्ड (छ) तथा (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

'(छ) "दस्तावेज" से अभिप्राय है, डिजीटल रिकार्ड सहित भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अध्ययन के लिए अंग्रेजी भाषा की परीक्षा हेतु प्रमाण–पत्र, ट्रैवल पेपर, वीजा, टिकट या पासपोर्ट जो इस अधिनियम के अधीन पर्यटन या प्रवास के प्रयोजन के लिए योग्यता के समर्थन में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है या उपयोग किया जाना आशयित है;

(ज) "प्रवासी" से अभिप्राय है, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन शासित विदेश में नियोजन हेतु प्रवास को छोड़कर, भारत का कोई नागरिक, जो किसी भी प्रयोजन जैसे अध्ययन, पर्यटन इत्यादि के लिए भारत से बाहर प्रवास करने के लिए आशयित है या प्रवास करता है या प्रवास कर गया है;';

(ii) खण्ड (ण) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(ण) "ट्रैवल एजेंट" से अभिप्राय है, व्यवसाय करने वाली कोई भी फर्म या कम्पनी या इकाई या कोई व्यक्ति, जो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन शासित होने वाली भर्ती के व्यवसाय को कार्यान्वित करने के सिवाय, देश के भीतर आने वाले पर्यटकों या यात्रियों या व्यक्तियों को विदेश भेजने से सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था, प्रबन्धन या संचालन करने अथवा जो किसी विदेश में भेजे गए व्यक्तियों से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाले मामलों में शामिल हैं और इसमें निम्नलिखित में से सभी या कोई भी मामला शामिल होगा, अर्थात्:–

(क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन यथा शासित विदेश में नियोजन हेतु भर्ती या प्रवास को छोड़कर पासपोर्ट या वीजा प्रदान करने के लिए या उससे सम्बन्धित आवेदनों की प्रक्रिया; या

(ख) किसी कम्पनी, फर्म या इस प्रकार के निकायों या संस्थाओं के लिए एजेंट के रूप में निम्नलिखित कार्य करना–

(i) हवाई यात्रा टिकटों की बिक्री करना; और

(ii) भूमि या समुद्री रास्ते से देश के भीतर या किसी विदेश की यात्रा के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध करवाना; या

(ग) विदेश में नियोजन को छोड़कर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को परामर्शी वीजा सेवा या मार्गदर्शन प्रदान करना–

(i) शिक्षा प्राप्त करने;

(ii) पर्यटक या ट्रैवलर के रूप में सुखद यात्रा करने;

(iii) चिकित्सा उपचार प्राप्त करने;

(iv) सांस्कृतिक मनोरंजन या संगीतमय कार्यक्रमों की व्यवस्था करने;

(v) धर्म का प्रसार या प्रचार करने;

(vi) खेल प्रतियोगिताओं या आयोजनों में भाग लेने; या

(घ) विदेश में नियोजन से संबंधित मामलों को छोड़कर, ऐसा विज्ञापन देना या प्रचार करना, जो प्रकाशन, प्रसारण, संचार या इंटरनेट के माध्यम से विदेश के किसी भी क्षेत्र की यात्रा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो; या

(ङ) विदेश में नियोजन के अलावा, प्रवास को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना या व्याख्यान देना या ऐसे प्रयोजनों के लिए सहायता प्रदान करना; या

(च) विदेश में नियोजन हेतु प्रवास से भिन्न प्रवास के प्रयोजनार्थ वैवाहिक गठबन्धनों तथा दत्तक ग्रहण की व्यवस्था करना; या

(छ) विदेश में नियोजन से भिन्न इसमें, इससे पूर्व वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए देश के भीतर या भारत से विदेश के लिए किसी भी व्यक्ति की यात्रा की व्यवस्था करना; या

(ज) खण्ड (क) से (छ) में वर्णित किसी भी प्रयोजन के लिए स्वतंत्र रूप से दलाल के रूप में कार्य करना।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, — 2025 के हरियाणा अधिनियम 10 की धारा 7 का संशोधन।

(i) खण्ड (छ) में, अन्त में विद्यमान ":" चिह्न के स्थान पर, ";या" चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ज) इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध की उल्लंघना करता है:"।

4. मूल अधिनियम की धारा 22 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:– 2025 के हरियाणा अधिनियम 10 में धारा 23 का रखा जाना।

"23. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना.– इस अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रूप से उपबन्धित के सिवाय तत्समय् लागू किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में तथा इस अधिनियम के अधीन विशिष्ट रूप से उपबन्धित से भिन्न उपबन्धों में किसी असंगतता के मामले में, केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव असंगतता की सीमा तक होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि हाल ही में लागू किए गए 'हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025' जिसका उद्देश्य राज्य में काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों को विनियमित करना है तथा इसके प्रावधानों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो विदेश में रोजगार हेतु भारतीय नागरिकों के प्रवास को नियंत्रित करने वाले उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के साथ असंगत प्रतीत होते हैं। कुछ प्रावधान, विशेष रूप से ट्रैवल एजेंटों के कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रावधान, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों से मेल नहीं खाते हैं। ट्रैवल एजेंट उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों, जिनमें उत्प्रवासियों के महारक्षक (पी.जी.ई.) के साथ अनिवार्य पंजीकरण भी शामिल है, का उल्लंघन करने के लिए इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग कर सकते हैं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के उल्लंघन से बचने और बेईमान एजेंटों द्वारा विदेशों में भारतीय नागरिकों की अवैध भर्ती गतिविधियों के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए, यह प्रस्ताव दिया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें सुरक्षित और कानूनी प्रवासन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करने हेतु समन्वय से कार्य करें।

हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 नामक एक विधेयक की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 में संशोधन करके विसंगतियों को दूर करना और हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन अधिनियम, 2025 तथा उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि भर्ती एजेंटों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को मजबूत किया जा सके।

अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 2 मार्च, 2026.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12466—H.V.S.—H.G.P., Pkl.